न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 15/2015

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. नेमाराम पुत्र रतनाराम		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. संतोष पुत्री रतनाराम		तहसीलदार जैतारण
वादीगण नाबालिग जरिए कुदरती		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
वलीया मोतीराम पुत्र जोराराम जाट		
सगे चाचा व संरक्षक,		
जातियान-जाट,निवासी-फालका		
तहसील-जैतारण, (जिला-पाली)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल0आर0एक्ट, **तारीख रजू:.16.01.2005**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 16/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में प्रतिवादीगण एवं अन्य हिस्सेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 387, 388, 389, 390, 391, कुल खसरा 5 कुल रकबा 43-18 बीघा की आई हुई हैं, जिसमें वादीगण के पिता रतनाराम वल्द जोराराम का 1/24 वां हिस्सा हैं तथा शेष भूमि दिगर हिस्सेदारो की हैं। इस भूमि को आगे वाद-पत्र विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि वादीगण के दादा जोराराम की थी, जाराराम के पास विवादित भूमि के अलावा मौजा फालका में ही खसरा नम्बर 841, 13, 167, 860 कुल खसरा-4 कुल रकबा 50-14 बीघा की भूमि भी आई हुई हैं। जोराराम का स्वर्गवास वर्ष 1990 में हो गया था, उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि के बाबत नामान्तरकरण संख्या 621 भरा गया था, जिसमें वादीगण के पिता की वल्दियत रतनाराम के नाम की सही दर्ज की थी। नकल नामान्तरकरण संख्या 621 इस वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत जोराराम का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 912 वर्ष 1998 में समस्या समाधान शिविर में भरा था। जिसमें प्रतिवादीगण के पिता रतनाराम के नाम की बजाय अल्पूराम के नाम की गलत प्रविष्टि कर दी थी। वादीगण के पिता का नाम अल्पूराम नही होकर के जोराराम था। तत्पश्चात राजस्व रेकर्ड में इसी माफिक अल्पूराम वल्द जोराराम की प्रविष्टि चली आ रही है। वादीगण के पिता का नाम रतनाराम ही था। अल्पूराम के नाम का अंकन गलत है। इसके बाबत रतनाराम का परिचय पत्र, राशनकार्ड एवं वादीगण का आधार कार्ड व शिक्षा से सम्बन्धित अंकतालिका भी इस वाद-पत्र के साथ पेश की है। रतनाराम वल्द जोराराम का स्वर्गवास वर्ष 2004 में हो गया है। जिस पर वाद-पत्र संख्या दो में वर्णित भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

व अन्य भूमि के बाबत नामान्तरकरण संख्या 1850 भरा जाकर स्वीकृत हो चुका है। लेकिन उक्त वर्णित विवादित भूमि में अल्पूराम के नाम की प्रविष्टि होने से वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हो रहा हैं। अलपूराम के नाम की प्रविष्टि को दुरूस्त किया जाना आवश्ययक हैं एवं इस बाबत वादीगण के पिता जोराराम के नाम की सीमा तक नामान्तरकरण संख्या 992 पटवार हल्का-फालका में अल्पूराम की बजाय रतनाराम के नाम की दुरूस्ती की जाना आवश्यक हैं। इस बाबत वादीगण अपने पिता का नाम सही दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। इसलिये यह वाद-पत्र घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी है वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के बाबत नामान्तरकरण करवाने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष आवेदन भी पेश किया हैं, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 05/07/2014 को नामान्तरकरण करने से ईन्कार कर दिया व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद-पत्र पेश करने की हिदायत दी। जिस पर यह वाद-पत्र सादर पेश किया है। वादीगण नाबालिग है, जो अपने सगे चाचा मोतीराम के शामिल ही रहते हैं एवं मोतीराम ही उनका भरण पोषण व देखभाल कर रहा हैं। मोतीराम का हित नाबालिग बच्चों से विपरीत कतई नही है। जिनकी तरफ से बतौर संरक्षक व कुदरत वली मोतीराम की तरफ से यह पेश किया जा रहा है। इसलिये अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर यह वाद-पत्र सादर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण, जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है, जिनके विरूद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस किया जाना आवश्यक होता है। परन्तु वाद-पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की सम्भावना है। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वाद-पत्र अनुमति लेकर श्रीमान समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से साथ पेश किया है। बिनाय वाद दिनांक 05/07/2014 को हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही करने से ईन्कार करने व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा करने का कहने पर बमुकाम फालका तहसील जैतारण, जिला-पाली में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-फालका में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के नाम के बारे में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की। पटवारी ने तस्दीक की हैं कि अल्पूराम के स्थान पर रतनाराम दर्ज होना चाहिए। जोराराम के पुत्र अल्पूराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। रतनाराम पुत्र जोराराम होना चाहिए। वादी ने जमाबंदी में गलत नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में आधार कार्ड, प्रमाण-पत्र राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र एवं अंकतालिका पेश किया हैं। उक्त दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का गलत नाम दर्ज किया गया हैं। अतः सही नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया हैं। सबूत से वादीगण के पिता सही नाम रतनाराम पुत्र जोराराम होने से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। लिहाजा वादी का नाम अल्पूराम के स्थान पर शुद्धि-पत्र जरिए वास्तविक नाम रतनाराम पुत्र जोराराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–फालका, तहसील–जैतारण में प्रतिवादीगण एवं अन्य हिस्सेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 387, 388, 389, 390, 391, कुल खसरा 5 कुल रकबा 43–18 बीघा में वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर अलपूराम पुत्र जोराराम की गलत प्रविष्टि को हटाया जाकर उसके स्थान रतनाराम पुत्र जोराराम की प्रविष्टि किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फालका में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. नेमाराम पुत्र रतनाराम		1. राजस्थान सरकार जरिए
2. संतोष पुत्री रतनाराम		तहसीलदार जैतारण
वादीगण नाबालिग जरिए कुदरती		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
वलीया मोतीराम पुत्र जोराराम जाट		
सगे चाचा व संरक्षक,		
जातियान-जाट,निवासी-फालका		
तहसील-जैतारण, (जिला-पाली)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 एल0आर0एक्ट,

मु0न0 :रा0वा0 स0:15/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण। मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में प्रतिवादीगण एवं अन्य हिस्सेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 387, 388, 389, 390, 391, कुल खसरा 5 कुल रकबा 43-18 बीघा में वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर अलपूराम पुत्र जोराराम की गलत प्रविष्टि को हटाया जाकर उसके स्थान रतनाराम पुत्र जोराराम की प्रविष्टि किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner